उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 17-07-2002 को सम्पन्न हुई 183वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 17 जुलाई, 2002 को बैठक हुई,जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री अतुल कुमार गुप्ता,<br>प्रमुख सचिव,नगर विकास | अध्यक्ष |
| २. | श्री वी०एन० गर्ग,<br>आवास आयुक्त,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| ३. | श्री संजय भूसरेड्डी,<br>विशेष सचिव,आवास,प्रतिनिधि सचिव,आवास,<br>उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ४. | श्री राम जनम सिंह,<br>विशेष सचिव,सार्वजनिक उद्यम विभाग,<br>प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,<br>सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ५. | सुश्री स्मिता चौधरी,<br>विशेष सचिव,वित्त,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,वित्त,<br>उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ६. | श्री वी०के० गुप्ता,<br>मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,उ०प्र०। | सदस्य |
| ७. | श्री वी०के० माथुर,<br>निदेशक,सी०बी०आर०आई०,रूड़की। | सदस्य |
| ८. | श्री एस०एम०ए० बुखारी,<br>मुख्य अभियन्ता,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| ९. | श्री देवेन्द्र दुबे,<br>अपर आवास आयुक्त,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। | सचिव |

विशेष आमंत्री के रूप में

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री कामरान रिजवी,<br>अपर आवास आयुक्त,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| २. | श्री कृष्णाकर त्रिपाठी,<br>वित्त नियन्त्रक,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| ३. | श्री सुबोध शंकर,<br>मुख्य वास्तुविद् नियोजक,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |

143

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

| मद संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | परिषद की १८२वीं बैठक दिनांक २२.१.२००२ के कार्यवृत्त की पुष्टि। | पुष्टि की गयी। |
| 2- | परिषद की १८२वीं बैठक दिनांक २२.१.२००२ की अनुपालन आख्या। | अनुमोदित। |
| 3- | परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम एवं द्वितीय। | अनुमोदित।<br>यह निर्णय लिया गया कि रू० १.५ करोड़ तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार आवास आयुक्त को होगा, रू० १.५ से ५ करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ मा० अध्यक्ष की सहमति से जारी की जा सकेंगी तथा रू० ५ करोड़ से अधिक की स्वीकृतियॉ जारी करने हेतु परिषद की उपसमिति अधिकृत होंगी,जिसके सदस्य निम्न होंगे :–<br>१–मा० अध्यक्ष – अध्यक्ष<br>२–आवास आयुक्त – सदस्य<br>३–आवास विभाग के प्रतिनिधि श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव – सदस्य<br>४–वित्त विभाग के प्रतिनिधिः– सुश्री स्मिता चौधरी, विशेष सचिव – सदस्य |
| 4- | वित्त वर्ष २००१–०२ के पुनरीक्षित एवं वित्त वर्ष २००२–०३ हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक । | अनुमोदित।<br>लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्तरीय सलाह प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष से विचार विमर्श के उपरान्त आवास आयुक्त स्तरीय सलाहकारों/सलाहकार संस्थानों की सेवाएं प्राप्त करेंगे। विभिन्न सलाहकार सेवाओं के लिये बजट में रू० ५०.००(पचास) लाख मात्र का प्राविधान किया जाये। |
| 5- | वित्तीय वर्ष १९९६–९७ की पुनरीक्षित बैलेन्स शीट व आय–व्यय खाते के संबंध में। | अनुमोदित। |
| 6- | वित्तीय वर्ष २०००–०१ की बैलेन्स शीट के संबंध में परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी। | अनुमोदित।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि आयकर अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में परिषद के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से बैलेन्स–शीट की पुनर्संरचना (re-structure) |

| | | |
|---|---|---|
| | | के लिए एक अनुभवी तथा स्तरीय कर सलाहकार की नियुक्ति की जाय। |
| 7- | वित्तीय अधिनियम २००२ द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को दिनांक १.४.२००३ से आयकर की परिधि में लिये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव इस परन्तुक के साथ अनुमोदित किया गया कि रिट दायर करने के पूर्व अनुभवी तथा वरिष्ठ सलाहकार से विधिक सलाह प्राप्त कर ली जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के अतिरिक्त फण्ड को नगरीय अवस्थापना (urban infrastructure) की ऐसी योजनाओं में निवेश किया जाये जो कर मुक्त हों। |
| 8- | उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कर्मियों को भी पेंशन की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में पेंशन योजना लागू किये जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी। | इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस पर शासन का भी अनुमोदन प्राप्त किया जाये। |
| 9- | परिषद के एकाउन्ट्स तथा वित्त प्रबन्धन के सम्बन्ध में परामर्श देने हेतु नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्स मै० डी० पाठक एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ३१ दिसम्बर,२००१ को समाप्त होने वाले त्रैमास की मैनेजमेन्ट आडिट रिपोर्ट। | मैनेजमेन्ट ऑडीटर को सुना गया और यह अपेक्षा की गयी कि वह भविष्य में उन बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से छाटेंगें,जिन पर कार्यवाही अपेक्षित हो। मैनेजमेन्ट आडीटर का नाम बदल कर प्रबन्धकीय सलाहकार (Management Advisor) रखने का निर्णय लिया गया। |
| 10- | उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास के डिपाजिट कार्य करने की अनुमति। | अनुमोदित।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया निर्धारण तथा मानीटरिंग हेतु सलाह देने के लिए एक कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी और आवास आयुक्त बोर्ड को प्रगति से अवगत कराते रहेंगे। |
| 11- | परिषद द्वारा विदेशों में डिपाजिट एवं कन्सलटेन्सी कार्य किए जाने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। यह भी अनुमति दी गयी कि इस सम्बन्ध में जाने वाले सी०आई०आई० प्रतिनिधि मण्डल में परिषद के अधिकारी भी जायें। |
| 12- | नवसृजित जनपद अम्बेडकर नगर के सम्बन्ध में टिप्पणी। | अवगत हुये और यह निर्णय लिया गया कि जो धनराशि मानचित्र में परिवर्तन के कारण व्यर्थ जायेगी, उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाने का अनुरोध किया जाये। |
| 13- | शहीद पुलिस कर्मियों की विधवाओं को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में। | अनुमोदित। |
| 14- | परिषद में व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों की मृत्यु उपरान्त अन्तरण के सम्बन्ध में। | इस परन्तुक के साथ अनुमोदित कि यह परीक्षण कर लिया जाये कि प्रस्तावित प्रक्रिया लीज की शर्तो के विपरीत नहीं है। |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 15- | समाज के विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। | शासनादेश के बिन्दु–१ और बिन्दु–२ को अंगीकृत किया गया तथा बिन्दु–३ के सम्बन्ध में आवास आयुक्त शासन को पुर्नविचार हेतु अनुरोध करलें। |
| 16- | उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–१९६५ की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में। | इस परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया गया कि धारा–७३ में प्रस्तावित संशोधन में दण्डराशि रू० १०,०००/– के स्थान पर रू० २०,०००/– होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि 'भू–अध्याप्ति अधिनियम १८९४' की प्रतिकर से सम्बन्धित धाराओं को,तथा उ०प्र० अरबन प्लानिंग एवं डेवपलमेण्ट एक्ट,१९७३' की अनाधिकृत निर्माण को रोकने,सील करने,गिराने तथा कम्पाउन्ड करने से सम्बन्धित धाराओं को यथा संशोधित 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,१९६५ में जोड़ने हेतु भी शासन को प्रस्ताव भेजा जाये। |
| 17- | उ०प्र०शासन कार्मिक अनुभाग–२ के शासनादेश सं०–१५ रिट/का–२–२००१ दिनांक २१.१२.२००१ के द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमतीकरण विनियमावली २००१ को परिषद के दैनिक वेतन समूह "घ" (चतुर्थ श्रेणी) कार्मिकों हेतु अंगीकृत किये जाने के संबंध में। | शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये। |
| 18- | नयी जुगोली रेलवे क्रासिंग एप्रोच योजना(इन्दिरा नगर–गोमतीनगर के मध्य) लखनऊ का धारा–२८ का प्रस्ताव। | अनुमोदित। |
| 19- | मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी एवं लोहिया नगर योजना की भूमि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को हस्तगत करने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 20- | संयुक्त क्षेत्र में कार्य करने तथा अनुबन्ध आदि सम्पादित करने के सम्बंध में प्रस्ताव । | अनुमोदित।<br>यह निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यक पाया जाये,तो इस हेतु मार्ग–दर्शक नीतियों को तय करने तथा निजी क्षेत्र के प्रि–क्वालीफाइड सहभागियों को चयनित करने हेतु सलाहकार (कन्सलटेन्ट) की सेवायें भी प्राप्त कर ली जाये। |
| 21- | परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची–(तृतीय)। | अनुमोदित। |

| | | |
|---|---|---|
| 22- | परिषद योजनाओं में आवंटन/नीलामी हेतु आफर किये जाने वाले आवासीय/अनावासीय/यवसायिक बल्क सेल भूखण्डों के लिए विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 23- | शिकोहाबाद योजना की सेवाओं को नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 24- | हरदोई स्थित प्रहलादपुरी योजना एवं नृपति विहार योजना की सेवाएं स्थानीय निकाय को हस्तगत करने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 25- | नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २००२–२००३ हेतु २२ परियोजनाओं के लिये रू० १४२१.८५ लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 26- | कर्नल योगेन्द्र शर्मा के पंजीकरण सं०–डी०एन०/पी०–२१६७(१२) को वृन्दावन (तेलीबाग) योजना, लखनऊ हेतु परिवर्तन के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित(डेफर्ड) किया गया। |
| 27. | कानपुर योजना सं०–२ के अल्प आय वर्ग भवन सं०–१७५४ के विरूद्व जमा धनराशि बिना कटौती वापस करने के सम्बन्ध मे । | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 28- | विकास नगर योजना में स्थित अल्प आय वर्ग भवन सं०–७/५३८ पर आरोपित दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 29- | श्रीमती शान्ति विष्ट को वृन्दावन योजना लखनऊ में उच्च आय वर्ग भवन ५० प्रतिशत मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 30- | श्रीमती राजरानी देवी द्वारा इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग भवन सं०–१७/५५२ के विरूद्व ब्याज माफी के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 31- | वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद में श्रीमती वसीम जैदी एवं श्री असरार अहमद को आवंटित भूखण्ड सं०–१२/३०६ के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 32- | वीरभद्र मार्ग योजना,ऋषिकेश में स्थित भूखण्ड सं०–१४२ के विरूद्व आरोपित धनराशि के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 33- | हमीरपुर रोड़,नौबस्ता यो०सं०–२ कानपुर में आवंटित उच्च आय वर्ग भवन सं०–५ए–७४३ एवं ५ए–७४४ का ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 34- | उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर यो०सं०–७,मेरठ के सेक्टर–१० व ११ के दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 35- | बुद्वि विहार योजना,मुरादाबाद में श्रीमती संतोष कुमारी को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०–१ए–१७६ के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 36- | परिषद की शाहपुर योजना सं०–२/३ गोरखपुर में श्रीमती सावित्री देवी व अन्य व्यक्तियों द्वारा परिषद की भूमि को अतिक्रमित/अनाधिकृत निर्माण द्वारा उपयुक्त भूमि उपयोग किए जाने की दशा में आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 37- | हरपुर योजना बलिया में दुर्बल आय वर्ग भवन सं०–२ए/४४० एवं २ए/४४१ के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 38- | परिषद की महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में श्री दीनानाथ तिवारी के पक्ष में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड सं०–सी–७ के स्थान पर व्यावसायिक भूखण्ड सं०–५ के आवंटन के सम्बध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 39- | विकास नगर योजना लखनऊ में व्यावसायिक भूखण्ड सं०–२/सी–५८ के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 40- | परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के आवासीय भूखण्ड सं०–१२१०, १२११ व १२१२ के अनिर्माण शुल्क की माफी के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 41- | परिषद की गणेश विहार योजना,फ़तेहपुर में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०–५१ में बनी बाउन्ड्रीवाल के मूल्य को भवन के आरक्षित मूल्य रू० २,६६,२०३.०० में से कम किये जाने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त,हुई त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारिण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। |
| 42- | राजाजीपुरम योजना लखनऊ में दुकान सं०–एस–२४१ के विरूद्व दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 43- | परिषद की कमलानगर योजना, आगरा के सेक्टर–६ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं०–जी०एच०–६/१ के सम्बन्ध में। | परिषद के संज्ञान में यह तथ्य आये कि मै० पूजा सहकारी आवास समिति लि० को ७००० वर्ग मी० भूमि आवासीय उपयोग हेतु ऑफर की जा चुकी थी पर आवंटन रोक दिया गया,जिस पर समिति ने स्थाई निषेधाज्ञा परिषद के विरूद्व प्राप्त करली जो अभी भी लागू है। यह भी पाया गया कि भूमि व्यवसायिक प्रकृति की है और आवासीय दर पर देने पर परिषद को हानि है। यह भी पाया गया कि समिति भूमि को व्यवसायिक दरों पर लेने को तैयार है। अतः परिषद हित में औचित्यपूर्ण पाया गया कि पूर्व आवंटित क्षेत्रफल (७००० वर्ग मीटर) दिनांक ७.६.९८ को लागू व्यवसायिक दर (आवासीय का दुगुना) दिनांक ७.६.९८ से दिनांक २६.३.९९ तक की अवधि का १६ प्रतिशत की दर से ब्याज लेते हुए व्यवसायिक प्रयोजन हेतु देने से परिषद को व्यवसायिक दर मिल जायेगी। यदि परिषद इस भूमि को भी नीलामी से निस्तारित करना चाहेगा,तो निषेधाज्ञा के कारण मामला विवादित बना रहेगा तथा राजस्व शंकाग्रस्त रहेगा। अतएव इस आधार पर न्यायालय से वाद वापस लेने की शर्त पर समझौता कर लिया जाये। परन्तु शेष भूमि परिषद के निस्तारण पर रहेगी,जिसे वह नियमानुसार नीलामी से बेचेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 44- | देहली रोड़ योजना,हरिद्वार के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार कौशिक तथा श्री आनन्द स्वरूप कौशिक को आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध मे। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 45- | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में बंगाली एसोसिएशन को भूखण्ड का आवंटन। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 46- | विकास नगर योजना में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय हेतु आरक्षित भवन सं०–४/५५७ के आवंटन के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 47- | श्री बजरंगी राय, परामर्शदाता की सेवा विस्तार के सम्बन्ध में । | संविदा आधार पर ६ माह सेवाएं प्राप्त करने हेतु अनुमोदित किया गया। |
| 48- | वेतनमान रू० ८०००–१३,५०० या उससे उचचतर वेतनमान के पदों से संबंधित संवर्गो के संवर्गीय पुनर्गठन के सम्बनध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 49- | सेवा निवृत्त सहायक अभियनता री एस०एस० जायसवाल को दिनांक २५.६.२००१ से २६.६.२००१ तक अर्थात कुल ६७ दिनों की अवधि के चिकित्सावकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 50- | श्री एस०एम०ए० बुखारी,मुख्य अभियन्ता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में। | श्री एस०एम०ए० बुखारी,मुख्य अभियन्ता को परिवीक्षा अवधि जो ६.७.२००२ को समाप्त हो चुकी है,के पश्चात् ७.७.२००२ से स्थाई किया जाये। |
| 51- | परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को जल निगम की भॉति दिनांक १.१.९६ तक प्रदत्त समयबद्व वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा को दिनांक १.१.९६ के आगे भी जारी रखे जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 52- | संहत वेतन कम्प्यूटर आपरेटर को जूनियर प्रोग्राम के पद पर विनियमितीकरण/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 53- | अपर आवास आयुक्त को परिषद बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 54- | परिषद बैठकों में निदेशक / सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ०प्र० शासन के प्रमुख सचिव को नामित किया जाना। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 55- | श्री राम लखन श्रीवास्तव,सहायक श्रेणी–द्वितीय को उनके हृदय रोग के इलाज / आपरेशन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं स्वीकृत अग्रिम के समायोजन एवं अवशेष के भुगतान हेतु शासन से कार्योत्तर स्वीकृति / अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 56- | श्री मनमोहन श्रीवास्तव,अवर अभियनता को उनके पुत्र के हृदय रोग के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर संस्तुति / अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 57- | श्री महेश कुमार,अर्दली को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 58- | वास्तुविद् नियोजक / प्रभारी अधिकारियों के कार्यालयों हेतु दूरभाष उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 59- | स्व०श्री अब्दुल हफीज, चपरासी के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन से कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 60- | परिषद कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण / क्रय / मरम्मत / विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में माफ किए जाने के समबन्ध में वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–३ के शासनादेश सं०–बी–३–४०६६ / | अनुमोदित। |

| | | |
|---|---|---|
| | दस–६४–२० (२४)/६२, दिनांक ३१.१०.१९६४ को परिषद में अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में। | |
| 61- | शासन द्वारा महोली यो०सं०–१, मथुरा की ६.७५ एकड़ भूमि के असुधार/विकास शुल्क के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 62- | श्री वीरेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी–काशीपुर,जनपद–ऊधम सिंह नगर स्थित भूमि खसरा सं०–१६० में समाविष्ट २४०० वर्ग फुट को अर्जन से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 63- | भूमि विकास एवं गृह स्थान यो०सं०–३,गाजियाबाद के ग्राम–साहिबाबाद के खसरा सं०–५०१–म, ६१७–म, ६३६, ६४०, ६४७–म, ६५६, ७००–म की ३–१३–० बीघा भूमि शासन द्वारा परित्याग करने विषयक। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 64- | वृन्दावन भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०–२, लखनऊ(पूरक) की धारा–२८ का प्रस्ताव। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 65- | राजाजीपुरम(तालकटोरा योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बिहारीपुर में स्थित खसरा सं०–२९०, २९३,२९६, ३००,३०१,३०२, ३०५,३११, ३१४,३१५ व ३१६ की भूमि के समबन्ध में श्री रियासत नवाब का प्रत्यावेदन। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 66- | सिविल लाइन्स यो०सं०–२ बदायूं के द्वितीय फेज की ८८.५७ एकड़ भूमि में ट्रंक सड़कों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 67- | वेद व्यास पुरी योजना,मेरठ के सेक्टर–3 में ७४.३० एकड़ भूमि में सड़कों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 68- | लखनऊ की वृन्दावन योजना सं०–२ भाग–१ के सेक्टर–६ में वाह्य विद्युतीकरण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 69- | वृन्दावन योजना लखनऊ में एक २X५ एम०वी०ए० ३३/११ के०वी० पावर सब–स्टेशन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 70- | यू०पी०आई०एल० कैम्पस लखनऊ स्थित स्वंय वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 71- | परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी सम्पत्तियों का आवंटन। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 72- | पूर्व में सृजित अधिशासी अभियन्ता के ५२ पदों में से अधिशासी अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) का एक अतिरिक्त पद "ईयरमार्क" करते हुए श्री बशीर अहमद, सहायक अभियनता (विद्युत/यांत्रिक) को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०–१६४४/ ९–आ–२–२००२, दिनांक १६.६.२००२ द्वारा प्राप्त निर्देशो के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 73- | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में वार्तालोक सहकारी आवास समिति हेतु द्वितीय चरण में एफ–६० प्रकार के ३२ नग, एफ–७६ प्रकार के ९६ नग एवं एफ–११७ प्रकार के ३२ नग कुल १६० नग चार मंजिला भवनों का निर्माण। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 74- | वृन्दावन यो०सं०–२ भाग–१ में कालिन्दी वन पार्क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 74- | वृन्दावन यो०सं०–२ भाग–१ में कालिन्दी वन पार्क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 75- | वृन्दावन यो०सं०–२ लखनऊ में डिफेन्स कर्मचारी सहकारी आवास समिति भूमि के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 76- | वृन्दावन यो०सं०–२ लखनऊ में कार्यरत/सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा अवैध रूप से क्रय की गई भूमि व उस पर किये गये निर्माणों के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 77- | इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–इस्माईलगंज के खसरा सं०–१२६ रकबा १–१३–१० बीघा भूमि के विकास शुल्क पर लगाये गये ब्याज को ५० प्रतिशत तक माफ किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 78- | परिषद की योजनाओं में निर्माण/ विकास कार्य एकीकृत निविदा से कराने के बजाय परियोजनावार। | शासनादेश अनुसार कार्य कराया जाय। |
| 79- | परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची–४ | अनुमोदित। |
| 80- | हरपुर योजना बलिया में समाविष्ट खसरा सं०–६६ के सम्बन्ध में री अशोक कुमार सेठ द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं०–१२१४३/२००२ में मा० उच्च न्यायालय के दिनांक २.४.२००२ को पारित आदेश के अन्तर्गत याची श्री अशोक कुमार सेठ के प्रत्यावेदन पर विचार। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 81- | परिषद के विनियमों/ प्राविधानों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में। | अनुमोदित। |
| 82- | अध्यक्ष(म०) की अनुमति से अन्य कोई विषय। | — |

पुष्टि